भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) की सिफारिशें

ट्राई की सिफारिशों पर संदर्भ "प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क" पर 19.11.2014

और

डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत "प्लेटफॉर्म सर्विसेज पर 13.11.2019 को ट्राई की सिफारिशों पर एमआईबी संदर्भ।"

2 फरवरी 2021

महानगर दूरसंचार भवन
जवाहर लाल नेहरू मार्ग
नई दिल्ली- 110002
वेबसाइट- www.trai.gov.in

विषय

शीर्षक		पृष्ठ सं.
अध्याय I	पृष्ठभूमि	3
अध्याय II	मुद्दे, हितधारकों की टिप्पणियाँ और सिफारिशें	6
अध्याय III	आंकड़ों का सारांश	31
अनुबंध		
अनुबंध I	एमआईबी लेटर नं. एन -45001 / 1/2020-डीएएस दिनांक 23 अक्टूबर 2020	34
अनुबंध II	एमआईबी सेकंड लेटर नं. एन-45001/1/2020-डीएएस दिनांक 23 अक्टूबर 2020	37

अध्याय - I : बैकग्राउंड

1.1 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 17 जनवरी 2013 के अपने पत्र की विडोडिंग, TRAI की सिफारिशें 11 (1) (a) (ii), (iii) और (iv) ट्राई अधिनियम, 1997 के मुद्दों पर (संशोधित) के तहत मांगी। केबल टीवी ऑपरेटरों के स्थानीय ग्राउंड-आधारित चैनलों से संबंधित।

1.2 टीवी चैनल वितरण प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से एमआईबी द्वारा अपने अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के तहत प्रसारित टीवी चैनलों को फिर से प्रसारित करते हैं। हालाँकि, इन चैनलों के अलावा, एक प्रचलित प्रथा के रूप में, विभिन्न डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर्स[1] (DPOs) कुछ प्रोग्रामिंग सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, जो उनके प्लेटफ़ॉर्म के लिए विशिष्ट हैं और उपग्रह-आधारित प्रसारकों से प्राप्त नहीं होती हैं। ये प्रोग्रामिंग सेवाएँ या तो डीपीओ द्वारा स्वयं निर्मित की जाती हैं या कुछ स्थानीय सामग्री उत्पादकों से प्राप्त होती हैं।

1.3 प्लेटफॉर्म सर्विसेज (पीएस) से संबंधित मुद्दों पर सभी हितधारकों की टिप्पणियों / विचारों को हल करने के लिए 23 जून 2014 को 'प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए विनियामक ढांचा' पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया गया था, ताकि पीएस के लिए एक उचित विनियामक ढांचा रखा जा सके। जगह में। चार क्षेत्रीय ओपन हाउस डिस्कशन (OHD) मुंबई (12 सितंबर 2014), बेंगलुरु (16 सितंबर 2014), कोलकाता (19 सितंबर 2014) और नई दिल्ली (24 सितंबर 2014) में हितधारकों के साथ आयोजित किए गए थे। हितधारकों के विचार और अपने स्वयं के विश्लेषण पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने 19 नवंबर 2014 को प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क पर सिफारिशें जारी कीं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्राधिकरण ने 2014 में प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क पर अपनी सिफारिशें अग्रेषित की थीं जब अंकों की प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ था। चूंकि डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया मार्च 2017 में पूरी हो चुकी है, इसलिए डीएएस क्षेत्रों के लिए सिफारिशें अब केवल प्रासंगिक हैं।

1.4 इस बीच, 2019 में, ट्राई को MIB के पत्र क्रमांक 3/1/2014-BP&L (Vol. III) से दिनांक 2 जुलाई 2019 तक एक संदर्भ प्राप्त हुआ। इसके साथ ही, MIB ने 19 नवंबर 2014 को "रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर प्लैटफॉर्म सर्विसेज" पर ट्राई की पूर्व की सिफारिशों का उल्लेख किया। और डीटीएच ऑपरेटरों के लिए प्लेटफॉर्म सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर पुनर्विचार करके ट्राई की सिफारिशों की मांग की।

[1] DPO में मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (MSO), डायरेक्ट टू होम (DTH) सेवा प्रदाता, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न (IPTV) ऑपरेटर और हेड-एंड इन द स्काई (HITS) ऑपरेटर शामिल हैं

1.5 तदनुसार, डीटीएच ऑपरेटर्स द्वारा प्रस्तुत by प्लेटफ़ॉर्म सर्विसेज 'पर एक परामर्श पत्र (सीपी) 28 अगस्त, 2019 को प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं (पीएस) से संबंधित मुद्दों पर सभी हितधारकों की टिप्पणियों / विचारों को हल करने के लिए ट्राई द्वारा जारी किया गया था। विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों के विचारों की तलाश के लिए, दिल्ली में 15 अक्टूबर 2019 को एक ओपन हाउस चर्चा भी आयोजित की गई थी। हितधारकों के विचारों और स्वयं के विश्लेषण पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने 13 नवंबर, 2019[2] को डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफार्म सेवाओं पर सिफारिशें जारी कीं।

1.6 TRAI को MIB से दो संदर्भ मिले, दोनों ही पत्र संख्या एन -45001 / 1/2020-DAS दिनांक 23 अक्टूबर 2020 (अनुबंध I और अनुबंध II)।

a. संदर्भ (अनुबंध I) में से एक में, MIB ने 19 नवंबर 2014 को "नियामक सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क" पर ट्राई की पूर्व की सिफारिशों का उल्लेख किया है और TRAI को सूचित किया है कि "प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क" पर सिफारिश के विचार के बाद दिनांक 19 / अंतर-मंत्रालय समिति (आईएमसी) द्वारा 11/2014, सिफारिशें सं। 8 को छोड़कर, सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। MIB ने ट्राई को सूचित किया है कि कुछ सिफारिशों को संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया है, जैसा कि संदर्भित पत्र में MIB से संकेत मिलता है और ट्राई से सुझावित संशोधनों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

b. दूसरा संदर्भ (अनुबंध II), जिसमें एमआईबी ने ट्राई को सूचित किया है कि वे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) / स्थानीय के संबंध में उनके कार्यान्वयन के लिए दिनांक 19/11/2014 को "नियामक सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क" पर ट्राई की सिफारिशों की जांच कर रहे हैं। केबल ऑपरेटर (एलसीओ)। MIB ने उल्लेख किया है कि यह देखा गया है कि DTH ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफार्म सेवाओं के बारे में TRAI द्वारा 13/11/2019 को की गई कुछ सिफारिशों को MSO / LCO के साथ-साथ दोनों क्षेत्रों में दिशानिर्देशों की एकरूपता के लिए अपनाया जा सकता है। MIB ने कुछ सिफारिशों को अपनाने का प्रस्ताव किया है, जैसा कि MSO / LCO द्वारा प्रस्तुत प्लेटफ़ॉर्म सर्विसेज के संबंध में MIB के ऊपर निर्दिष्ट पत्र में इंगित किया गया है, जहाँ भी आवश्यक हो "DTH" शब्द को "MSO / LCO" से बदलकर जहाँ भी आवश्यक हो और TRAI को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार।

[2] https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_1311201

1.7 जैसा कि कुछ मुद्दों पर विशेष रूप से विचार-विमर्श नहीं किया गया था, ट्राई ने "प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए विनियामक ढांचा" और ट्राई की सिफारिशों पर एमआईबी संदर्भ पर ट्राई की सिफारिशों पर दिनांक 19.11.2014 के उपरोक्त MIB बैक संदर्भ पर 7.12.2020 पर एक परामर्श पत्र जारी किया। डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफ़ॉर्म सर्विसेज "दिनांक 13.11.2019। परामर्श पत्र ने ट्राई के मसौदा प्रतिक्रिया को प्रतिबिंबित किया। 14 दिसंबर 2020 तक हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां और 19 दिसंबर 2020 तक किसी भी तरह की टिप्पणी पर जवाबी टिप्पणी की गई थी। हितधारकों के अनुरोध पर टिप्पणियों और काउंटर टिप्पणियों को जमा करने की अंतिम तिथि 21.12.2020 तक बढ़ा दी गई थी। और क्रमशः 26.12.2020। विभिन्न हितधारकों से इकतीस टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं और कोई जवाबी टिप्पणी नहीं मिली। सभी टिप्पणियों को ट्राई की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। एमआईबी की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, हितधारकों से प्राप्त लिखित टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण, प्राधिकरण ने इन सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है।

1.8 आगामी अध्याय II में संदर्भित मुद्दों पर प्राधिकरण की पूर्व की सिफारिशें शामिल हैं, एमआईबी के विचार, हितधारकों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण और प्राधिकरण की सिफारिशें शामिल हैं। अध्याय III विषय पर प्राधिकरण की सिफारिशों को सारांशित करता है।

अध्याय - II: मुद्दे, हितधारकों की टिप्पणियाँ और सिफारिशें

भाग I - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) से प्राप्त 23 अक्टूबर, 2020 के दिनांकित संदर्भों का जवाब ट्राई की 19 नवंबर 2014 की सिफारिशों पर दिया गया

2.1 हितधारकों और इन-हाउस विश्लेषण से प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखने के बाद, प्राधिकरण ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है। ट्राई ने पहले की सिफारिशें, एमआईबी के विचार, हितधारकों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण और प्राधिकरण की सिफारिशें इस प्रकार हैं:

A. ट्राई की सिफारिशों का पैरा 2.39 दिनांक 19.11.2014

<u>पहले की सिफारिश:</u>

2.2 कोई भी व्यक्ति / संस्था पीएस प्रदान करने के लिए इच्छुक है, या पहले से ही इस तरह की सेवाएं प्रदान कर रहा है, उसे भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और इसके लिए नियम तय किए गए हैं।

<u>MIB देखें:</u>

2.3 एमएसओ / एलसीओ के संबंध में आईएमसी द्वारा इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि छोटे क्षेत्रों में संचालित अधिकांश एमएसओ / एलसीओ या तो प्रोपराइटरशिप या साझेदारी फर्म हैं जो कंपनियों के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। एमएसओ / एलसीओ को कंपनियों में परिवर्तित करने के लिए इसे अनिवार्य बनाना व्यापार करने में आसानी के प्रचार के अनुरूप नहीं हो सकता है। IMC ने निर्णय लिया कि MIB के साथ या डाकघर के साथ DPO के रूप में पंजीकृत कोई भी PS चैनल ले जाने के लिए पात्र होगा।

<u>हितधारकों की प्रतिक्रिया का सारांश:</u>

2.4 इस मुद्दे की प्रतिक्रिया में, अधिकांश हितधारकों ने परामर्श पत्र में वर्णित ट्राई के प्रस्तावित विचारों से सहमति व्यक्त की। ट्राई के विचारों से सहमत होते हुए, ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और एक ब्रॉडकास्टर ने सुझाव दिया है कि डीपीओ को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कम से कम "एक व्यक्ति कंपनी" (यदि कंपनी के रूप में नहीं) के रूप में खुद को पंजीकृत करने की सलाह दी जा सकती है जिसमें प्रक्रिया है पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से बहुत सरल और शीघ्र। एक ब्रॉडकास्टर ने कहा कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स को अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के तहत बहुत अधिक कठोर आवश्यकताएं हैं। इसलिए, यदि डीपीओ बिना निगम के समाचार शैली में पीएस की पेशकश करते हैं, तो उन्हें समाचार प्रसारणकर्ताओं के लिए निर्धारित अनुपालन के समान स्तरों के अधीन नहीं किया जाएगा। इसलिए, पीएस को समाचार शैली की पेशकश के लिए खुला नहीं होना चाहिए।

2.5 कुछ एमएसओ ने दावा किया है कि एमएसओ द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रोग्रामिंग सेवाएं पहले से ही केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम (सीटीएन अधिनियम), 1995 के तहत पर्याप्त रूप से शामिल हैं। एक व्यक्ति, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, या कंपनी सहित कानूनी स्थिति के बावजूद "प्लेटफ़ॉर्म सर्विसेज" प्रदान करने के लिए उचित और सही है। एक अन्य हितधारक ने टिप्पणी की कि LCOs को भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, MSOs और IPTV ऑपरेटरों को भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि इसके अनुरूप बनाया जा सके। HITS और DTH आवश्यकताएँ।

2.6 इसके अलावा, एक हितधारक की राय थी कि MSO / LCOs प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्मों के रूप में काम कर रहे हैं, प्रत्येक व्यवसाय प्रविष्टि के व्यवसाय की प्रकृति के लिए प्रासंगिक प्रावधानों के तहत पंजीकरण करने के लिए अनिवार्य हो सकता है, जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ बिजनेस काउंसिल ऑफ बिजनेस के प्रवेश के लिए है। । एक अन्य हितधारक ने कहा कि सामग्री को नियंत्रित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है क्योंकि एमएसओ को न्यूनतम अवधि के लिए पीएस की सामग्री को स्टोर करने के लिए नहीं कहा जाता है, कम से कम 30 दिनों के लिए कहें, केबल में निर्दिष्ट कार्यक्रम और विज्ञापन कोड के उल्लंघन पर शिकायतों की जांच करने के लिए। टीवी एक्ट। ट्राई को एक संरचना को अंतिम रूप देना है जहां उपभोक्ताओं को केवल एन्क्रिप्टेड सिग्नल भेजे जाते हैं, जिसमें पीएस (एमएसओ और एलसीओ के केबल चैनल) शामिल हैं।

2.7 कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि एन्क्रिप्टेड सिग्नल के लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए और एलसीओ को अपने चैनल को अपने अंत में जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है।

<u>मुद्दे का विश्लेषण:</u>

2.8 निजी उपग्रह टीवी चैनल को संचालित करने की अनुमति केवल कंपनी अधिनियम के तहत भारत में पंजीकृत कंपनियों को दी गई है। हालाँकि, दिशानिर्देशों के अनुसार, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म ओनर कंपनी हो सकती है या नहीं भी। डीटीएच / एचआईटीएस / आईपीटीवी / एमएसओ के लिए पंजीकरण के लिए प्रतिक्रियात्मक दिशानिर्देश पात्रता शर्तों को निर्धारित करते हैं। DTH या HITS सेवा प्रदाता को MIB के साथ पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए एक कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। हालांकि, एक आईपीटीवी सेवा प्रदाता या एमएसओ को एमआईबी के साथ पंजीकरण कराने के लिए कंपनी की आवश्यकता नहीं है।

2.9 प्लेटफॉर्म सेवाओं के पंजीकरण के संबंध में नवंबर 2014 में ट्राई की सिफारिशों में की गई टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं। सभी डीपीओ (और साथ ही साथ प्रसारणकर्ता) की कानूनी स्थिति में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, यह सिफारिश की गई थी कि पीएस की पेशकश करने वाले सभी डीपीओ को कंपनी अधिनियम के तहत एक कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। इसके अलावा, प्राधिकरण ने 2014 में उल्लेख किया था कि कंपनी पंजीकरण प्रक्रिया के लिए सरलीकरण किया गया है। एक कंपनी

के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली लागू थी। इस प्रकार, यहां तक कि छोटे एमएसओ, जो पहले से ही एक व्यक्ति के रूप में एमआईबी के साथ पंजीकृत हैं, आसानी से कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं। 2014 की सिफारिशें भी उजागर करती हैं कि पंजीकृत कंपनी का अनुपालन और स्वामित्व की स्थिति बहुत स्पष्ट है। इसलिए, बेहतर पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्धारित किया गया था कि प्लेटफॉर्म सेवाओं की पेशकश करने के इच्छुक सभी डीपीओ को कंपनी अधिनियम के तहत एक कंपनी के रूप में पंजीकरण करना चाहिए।

2.10 डीएएस कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है कि पीएस को केवल एमएसओ द्वारा हेड-एंड पर डाला जा सकता है। यह देखते हुए कि बहुत बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म चैनल संभव हैं, ऐसे चैनलों के माध्यम से सूचना के प्रसार पर निगरानी का मुद्दा महत्वपूर्ण है। कंपनी के रूप में अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में सिफारिशें पारदर्शिता और नियमित अनुपालन के उद्देश्य से की गई थीं। प्लेटफ़ॉर्म चैनल सूचना और गलत सूचना को तेज़ी से और व्यापक रूप से फैला सकते हैं।

2.11 प्रति संदर्भ के अनुसार MIB यह मानता है कि MSO के लिए कंपनी के रूप में पंजीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो प्लेटफ़ॉर्म सेवा प्रदान करते हैं। हालाँकि, उस मामले में, MIB को पंजीकरण के समय स्वामित्व की पारदर्शिता और ऐसी प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं की सामग्री के आश्वासन के बारे में संतुष्ट होना चाहिए। MIB यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्लेटफ़ॉर्म सर्विस चैनल का पंजीकरण DPOs को कार्यक्रम और विज्ञापन कोड[3] का पालन करने के लिए स्वामित्व और उचित उपक्रम का पूर्ण प्रकटीकरण प्रदान करने के लिए संलग्न कर सकता है।

2.18 इस संबंध में, प्राधिकरण ने १ ९ नवंबर २०१४ को प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क पर अपनी सिफारिशों में चिंताओं और मुद्दों को २.१२ से २.१ated तक विस्तृत किया था। विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने दिनांक 19 नवंबर 2014 को निम्नलिखित की सिफारिश की थी:

> *2.18 अब तक PS पर स्थानीय समाचार और करंट अफेयर्स बुलेटिन ले जाने का संबंध है, निम्न श्रेणियों को गैर-समाचार और वर्तमान मामलों के प्रसारण के रूप में माना जाएगा और इसलिए, अनुमेय होगा:*

[3] https://www.mib.gov.in/broadcasting/programme-and-advertising-codes

(i) स्थानीय घटनाओं और अन्य स्थानीय मामलों के बारे में जानकारी, स्थानीय स्तर पर और समाचार एजेंसियों से या प्रसारण समाचार चैनलों / स्रोतों से प्राप्त नहीं;

(ii) लाइव कवरेज को छोड़कर खेल की घटनाओं से संबंधित जानकारी। हालाँकि स्थानीय प्रकृति के खेल आयोजनों की सजीव टिप्पणियाँ अनुमन्य हो सकती हैं, यदि उसी के प्रसारण अधिकार किसी और के पास न हों;

(iii) यातायात और मौसम से संबंधित जानकारी;

(iv) सांस्कृतिक कार्यक्रमों, त्योहारों से संबंधित जानकारी और कवरेज;

(v) परीक्षा, परिणाम, प्रवेश, कैरियर परामर्श से संबंधित विषयों का कवरेज;

(vi) रोजगार के अवसरों की उपलब्धता; तथा

(vii) स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रदान की गई बिजली, पानी की आपूर्ति, प्राकृतिक आपदा, स्वास्थ्य अलर्ट आदि जैसी नागरिक सुविधाओं से संबंधित सार्वजनिक घोषणाएँ।

इसके अलावा, प्राधिकरण की सिफारिश है कि डीपीओ इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी[4] से पूर्व अनुमति प्राप्त करें और राज्य सरकारों को ऐसी अनुमति के अनुसार कोई शुल्क नहीं देना चाहिए। पीएस की पेशकश करने वाले किसी भी डीपीओ को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2.13 इसलिए, प्राधिकरण का विचार है कि गैर-समाचार और करंट अफेयर्स के ऊपर उल्लिखित श्रेणी [इसलिए जिसे स्थानीय समाचार और वर्तमान मामलों को पीएस कहा जाता है] प्रसारित किया जाता है, स्वभाव से बहुत संवेदनशील हो सकता है। स्थानीय मामलों के बारे में ग्राहकों को जानकारी प्रसारित करने के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है और इसके कानून और व्यवस्था से संबंधित निहितार्थ हो सकते हैं। यह ध्यान दिया जाता है कि समाचार और वर्तमान मामलों के प्रसारकों को गैर-समाचार और वर्तमान मामलों के प्रसारकों की तुलना में कठोर विनियामक आवश्यकताओं के अधीन किया जाता है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, यह अनुशंसा की जाती है कि कोई भी व्यक्ति / इकाई PS[5] के रूप में स्थानीय समाचार और वर्तमान मामलों को प्रदान करने के लिए इच्छुक है, या पहले से ही ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहा है, को भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

<u>प्राधिकरण की सिफारिश</u>

[4] जैसा कि संशोधन के रूप में केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 2 (ए) में परिभाषित किया गया है।

[5] 19 नवंबर 2014 की प्लेटफॉर्म सर्विसेज के लिए नियामक ढांचे पर TRAPs सिफारिशों की 2.18 सिफारिशों के अनुपालन में

2.14 उपरोक्त के मद्देनजर, ट्राई को मंत्रालय के दृष्टिकोण को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अनुपालन संरचना को निर्दिष्ट करने में सक्षम हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मंच सेवाएं प्रदान करने वाले लोग स्वामित्व की स्थिति पर पूर्ण प्रकटीकरण करते हैं और कार्यक्रम और विज्ञापन कोड का पालन करते हैं। इसके अलावा, प्राधिकरण सिफारिश करता है कि कोई भी व्यक्ति / संस्था स्थानीय समाचार और वर्तमान मामलों को पीएस के रूप में प्रदान करने के लिए इच्छुक है, या पहले से ही ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहा है, को भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

B. ट्राई की सिफारिशों का पैरा 2.45 दिनांक 19.11.2014

पहले की सिफारिश:

2.15 गैर-डीएएस क्षेत्रों में केबल ऑपरेटरों द्वारा अधिकतम 5 पीएस चैनल की पेशकश की जा सकती है। डीएएस क्षेत्रों और अन्य सभी प्लेटफार्मों के लिए, अधिकतम 15 पीएस चैनल डीपीओ द्वारा पेश किए जा सकते हैं। ये नंबर सब्सक्राइबर के अंत में उपलब्ध कराए जाने वाले PS चैनलों की संख्या है।

MIB देखें:

2.16 डिजिटलीकरण प्रक्रिया के पूरा होने के साथ, DAS और गैर-DAS क्षेत्र के बीच कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाता है, जबकि ट्राई द्वारा अनुशंसित डीपीओ द्वारा लिए गए पीएस चैनलों की क्षमता को प्रतिबंधित करना आवश्यक है, यह पीएस चैनलों की संख्या को प्रतिबंधित करने के लिए केबल टीवी जैसे विकसित और गतिशील बाजार के हित में नहीं है। विनियमन केवल ग्राहक हितों, नैतिक व्यापार प्रथाओं, व्यवसाय करने में आसानी और प्रोग्रामिंग कोड और विज्ञापन कोड के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा के दृष्टिकोण को रोक सकता है।

इस बात पर ध्यान देते हुए, यह अनुशंसा की जाती है कि एमएसओ को अधिकतम 5% तक परिचालन की अनुमति दी जा सकती है, और एलसीओ को अधिकतम 1%, अधिकतम अनुमत उपग्रह चैनल, जो किसी भी ऊपरी सीमा के बिना अनुमत पीएस चैनल के रूप में उनके द्वारा किए जा रहे हैं ।

हितधारकों की प्रतिक्रिया का सारांश:

2.17 इस मुद्दे के संबंध में, अधिकांश हितधारक परामर्श पत्र में वर्णित ट्राई के प्रस्तावित विचारों से असहमत हैं। कई डीपीओ ने कहा कि जब सैटेलाइट चैनलों पर इस तरह के प्रतिबंध नहीं हैं तो प्लेटफॉर्म सेवाओं की संख्या पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। एमएसओ (एस) / एलसीओ (एस) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं की संख्या को बाजार की ताकतों द्वारा तय किया जाना चाहिए और आर्थिक स्थिरता को यह निर्धारित करना चाहिए कि इस संख्या को प्रतिबंधित या विस्तारित करना है या नहीं। ट्राई द्वारा परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त एक सुझाव यह था कि ग्राहक आधार और डीपीओ की क्षमता को ध्यान में रखते हुए पीएस की संख्या को वैज्ञानिक और निष्पक्ष रूप से पता लगाया जाना चाहिए। कई डीपीओ ने सुझाव दिया कि MIB को प्लेटफॉर्म सेवाओं की परिभाषा से ग्राउंड आधारित चैनलों को

स्पष्ट रूप से बाहर करना चाहिए। इसके अलावा, एक एमएसओ की राय थी कि नए पीएस चैनल के प्रवेश को प्रतिबंधित करने से न केवल प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है, बल्कि उपभोक्ताओं की पसंद भी एक हितधारक ने सुझाव दिया है कि चूंकि पीएस चैनलों की संख्या पर पूर्ण सीमा अवांछनीय है, इसलिए सभी सीमाएं आधारित होनी चाहिए उपग्रह डीपीओ द्वारा किए गए चैनलों के प्रतिशत पर।

2.18 एक डीपीओ ने प्रस्ताव दिया कि अगर सीमाएं होनी चाहिए, तो इन्हें HITS प्लेटफॉर्म के लिए 80 PS सेवाओं तक बढ़ा दिया जाना चाहिए, MSO के लिए 50 तक और LCO के लिए कम से कम 20 तक। इन नंबरों के लिए तर्क यह है कि HITS प्लेटफॉर्म अखिल भारतीय सेवा प्रदान करते हैं और उन्हें अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई क्षेत्रों, भाषाओं और शैलियों को पूरा करना चाहिए। इसके अलावा, कई एमएसओ की राय थी कि, डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा दी जा रही प्लेटफॉर्म सेवाएं उपग्रह आधारित हैं और इसलिए, उपग्रह आधारित चैनलों पर लागू होने वाले समान प्रावधान ऐसी प्लेटफॉर्म सेवाओं पर लागू होने चाहिए। इसके अलावा, एमआईबी द्वारा जारी डीटीएच दिशानिर्देशों के संदर्भ में, डीटीएच ऑपरेटरों को किसी भी प्लेटफॉर्म सेवाओं की पेशकश करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा, कई प्रसारकों ने सुझाव दिया कि यह आवश्यक है कि सभी PS को सीधे और पूरी तरह से DPO के हेडडाउन से डाला जाए और उस आवृत्तियों (चाहे PS डालने के लिए या अन्यथा) को अनएन्क्रिप्टेड रूप से न छोड़ा जाए, इससे ऐसी आवृत्तियों का दुरुपयोग हो सकता है (वेतन चैनल उपलब्ध कराने के लिए अंतर-आलिया)।

2.19 कई प्रसारकों ने प्रस्तावित किया कि 500 से कम उपग्रह चैनलों वाले प्रत्येक डीपीओ को अधिकतम 10 पीएस की अनुमति दी जानी चाहिए। जबकि, 500 से अधिक अनुमत सैटेलाइट चैनलों वाले DPO को अधिकतम 15 PS की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा काफी कुछ ब्रॉडकास्टर्स ने टिप्पणी की है कि बड़ी संख्या में स्थानीय केबल ऑपरेटरों ("LCO") को देखते हुए, उन्हें प्लेटफार्म सेवाओं को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि 60,000 से अधिक LCO मौजूद हैं, यह निगरानी के लिए अनुचित नहीं होगा कार्यक्रम और विज्ञापन कोड के दृष्टिकोण से सामग्री। एक प्रसारक ने कहा कि पीएस चैनलों की संख्या प्रस्तावित होने की तुलना में बहुत कम होनी चाहिए। जबकि एक अन्य प्रसारक ने कहा कि इस तरह के प्रतिबंध गलत हैं और इससे पीएस चैनलों की वृद्धि प्रभावित होगी।

2.20 एक अन्य हितधारक ने कहा कि पीएस की संख्या पर कोई सीमा तय करने का कोई औचित्य नहीं है और वे कुल अनुमत उपग्रह चैनलों पर कुल प्रतिशत कैप लगाने के एमआईबी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। एक एमएसओ ने सुझाव दिया कि जहां डीटीएच प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म सेवाओं की संख्या को सीमित करने का मामला हो सकता है, लेकिन दो प्लेटफार्मों की प्रकृति में निहित अंतर के कारण एमएसओ / एलसीओ पर समान प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक अन्य एमएसओ ने सुझाव दिया कि व्यक्तिगत एलसीओ को किसी भी पीएस के लिए हमेशा जिम्मेदार होना चाहिए कि वे खुद को सम्मिलित कर रहे हैं, खासकर एक एचआईटीएस आर्किटेक्चर में।

2.21 एक व्यक्तिगत हितधारक ने कहा कि पीएस चैनलों को कनेक्टिविटी के अनुपात में अनुमति दी जा सकती है (डीपीओ जितने घरों की सेवा कर रहा है और जितने उपग्रह चैनल वे ले जाते हैं, उन्हें चलाने के लिए सहमत होने के बाद, एमआईबी और ट्राई स्पष्ट रूप से एलसीओ की अनुमति देते हैं। पायरेसी का सहारा लेना। एक अन्य व्यक्तिगत हितधारक की राय थी कि प्राधिकरण की सिफारिशों को अंतिम रूप देते हुए हाल ही के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार संशोधनों के अधीन हो सकता है।

2.22 कुछ एलसीओ और उनके एक संघ ने इस बात का विरोध किया कि एलसीओ को MIB द्वारा सुझाए गए कुल चैनलों का १% हिस्सा चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

<u>मुद्दे का विश्लेषण:</u>

2.23 यह दोहराया गया है कि प्राधिकरण ने 2014 में प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे पर अपनी सिफारिशों को आगे बढ़ाया था जब डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। चूंकि डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया मार्च 2017 में पूरी हो चुकी है, इसलिए केवल डीएएस के लिए सिफारिशें प्रासंगिक बनी हुई हैं।

2.24 प्राधिकरण का विचार है कि DPO का डोमेन और कामकाज प्रसारकों से अलग है। सामान्य तौर पर, प्लेटफ़ॉर्म सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूटर्स को मुख्य रूप से ब्रॉडकास्टर्स द्वारा उत्पादित सामग्री को ले जाना होता है, न कि अपनी सामग्री का उत्पादन करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) को अनुमति / पंजीकरण / लाइसेंस देने का मुख्य उद्देश्य अपलिंकिंग / डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के तहत कवर किए गए टीवी चैनलों का वितरण है। इस प्रकार, यह आवश्यक है कि इन प्लेटफार्मों की वितरण क्षमता का प्रमुख हिस्सा इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। इस वितरण क्षमता का एक छोटा हिस्सा PS के लिए उपयोग किया जा सकता है ताकि इन DPOs के ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

2.25 यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि 900 से अधिक पंजीकृत टेलीविजन चैनल हैं। ये चैनल केवल डीपीओ के नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इन प्रसारकों के लिए पर्याप्त चैनल वहन क्षमता आवश्यक है। इसके अलावा, पंजीकृत टीवी चैनलों के बीच, क्षेत्रीय भाषाओं और शैलियों में पर्याप्त प्रसार है। इसलिए, कई पीएस चैनलों के लिए कोई दबाव की आवश्यकता नहीं है।

2.26 किसी को यह ध्यान देना चाहिए कि एक टेलीविजन चैनल सूचना प्रसारित करने का एक तंत्र है और इसमें राय बनाने की क्षमता है। जब कोई उपभोक्ता एक चैनल देखता है, तो प्रभाव और प्रभाव उपग्रह चैनलों या प्लेटफ़ॉर्म सर्विस चैनलों के लिए समान रहता है। वास्तव में, कुछ मामलों में प्लेटफ़ॉर्म चैनल का प्रभाव अधिक हो सकता है क्योंकि वे अधिक स्थानीय होते हैं और दर्शकों के लिए अधिक प्रासंगिक हो सकते हैं। वर्तमान में सोलह सौ (1600) से अधिक पंजीकृत एमएसओ हैं। पंद्रह प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं के साथ एक साधारण गणना, संबंधित डीपीओ के लिए प्रत्येक अनन्य का सुझाव है कि चौबीस हजार (24000) प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं से अधिक हो सकता है। इस तरह के चैनलों के लिए उपलब्ध निगरानी तंत्र की सीमाओं को देखते हुए, चैनलों की संख्या बढ़ाने के लिए और अधिक उत्तोलन निगरानी / निरीक्षण पर असहनीय तनाव डाल देगा। डीएएस में तकनीकी व्यवस्था ऐसी है कि एक टेलीविजन चैनल केवल हेड-एंड पर डाला जा सकता है। यहां तक कि अगर कोई एलसीओ अपने चैनल को प्रदान करना चाहता है, तो उसे एमएसओ के हेड-एंड पर फीड प्रदान किया जाना चाहिए। एमएसओ के लिए एलसीओ को पंद्रह पीएस चैनलों की उपलब्ध सीमा में से कुछ चैनल आवंटित करना बहुत संभव है। चूंकि सभी चैनल एमएसओ के स्तर पर डाले गए हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म चैनलों को पंजीकृत करना एमएसओ की जिम्मेदारी होगी। यह पंजीकृत उपग्रह टेलीविजन चैनलों के लिए नेटवर्क पर उपलब्धता का पर्याप्त पूल प्रदान करेगा।

2.27 यह सुनिश्चित करना भी उचित है कि पीएस के उदार विनियामक ढांचे को ब्रॉडकास्टर के रूप में पंजीकरण को दरकिनार नहीं करना चाहिए। मामले में, सम्मोहक क्षेत्रीय सामग्री उपलब्ध है, ऐसी संस्था खुद को ब्रॉडकास्टर के रूप में पंजीकृत कर सकती है। ऐसे मामलों में, एमआईबी प्रसारकों और डीपीओ के बीच कार्यक्षेत्र एकीकरण दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित कर सकता है। पीएस चैनलों की एक बड़ी संख्या प्रदान करने की क्षमता डीपीओ के लिए एक मनमाना अवसर प्रस्तुत करती है क्योंकि वे प्रसारण पर नियमों को दरकिनार कर सकते हैं।

2.28 पूर्व पैरा में चर्चा के मद्देनजर, प्राधिकरण का मत है कि अधिकतम 15 पीएस चैनल एमएसओ, आईपीटीवी ऑपरेटर और HITS ऑपरेटर द्वारा पेश किए जा सकते हैं।

2.29 प्राधिकरण का यह भी विचार है कि एमएसओ और एलसीओ द्वारा पेश किए जाने वाले पीएस चैनलों की संख्या पर सीमा को अलग से निर्दिष्ट करना वांछनीय नहीं है। यह एमएसओ और एलसीओ के बीच आपसी व्यवस्था के लिए छोड़ा जा सकता है। एक MSO अपने प्लेटफ़ॉर्म पर पेश किए जा रहे सभी प्लेटफ़ॉर्म सेवा चैनलों के लिए ज़िम्मेदार हो सकता है।

<u>प्राधिकरण की सिफारिश</u>

2.30 उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण का सुझाव है कि अधिकतम 15 PS चैनल MSO, IPTV ऑपरेटर्स और HITS ऑपरेटरों द्वारा पेश किए जा सकते हैं।

C. ट्राई की सिफारिशों की पैरा 2.52 दिनांक 19.11.2014

<u>पहले की सिफारिश:</u>

2.31 प्राधिकरण नोट करता है कि गैर-डीएएस क्षेत्रों में सक्रिय एमएसओ और एलसीओ के अलावा सभी डीपीओ, पहले से ही सुरक्षा को मंजूरी दे चुके हैं। इन MSO और LCOs के लिए, प्राधिकरण अनुशंसा करता है कि किसी भी समय MIB द्वारा सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने से पहले, यह निर्धारित किया जाता है कि PS पर पेश की गई प्रोग्रामिंग सेवा और जो ऑनलाइन सिस्टम पर पंजीकृत है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या जनता के लिए अनैतिक है। ब्याज, MIB को PS चैनल या प्रोग्रामिंग सेवा को वितरण से वापस लेने और / या पंजीकरण को रद्द करने के लिए DPO की आवश्यकता हो सकती है।

<u>MIB देखें:</u>

2.32 ट्राई की यह धारणा कि डीएएस क्षेत्रों में सक्रिय सभी डीपीओ सुरक्षा को मंजूरी दे चुके हैं, क्योंकि एलसीओ के लिए सुरक्षा मंजूरी पंजीकरण के पूर्व भुगतान के लिए आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही डीएएस और गैर-डीएएस क्षेत्रों के बीच कोई अंतर नहीं है। वर्तमान में लगभग 72% एमएसओ को एमएचए द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है क्योंकि पंजीकरण अवधि के दौरान सुरक्षा मंजूरी पूर्व-अपेक्षित नहीं थी। इसलिए, एलसीओ में से कोई भी सुरक्षा को मंजूरी नहीं दी गई है।

2.33 इस पर ध्यान देते हुए, गैर-डीएएस क्षेत्रों में एमएसओ / एलसीओ की सुरक्षा मंजूरी के लिए ट्राई की सिफारिश का विस्तार करने की सिफारिश की गई है, सभी एमएसओ / एलसीओ जो सुरक्षा मंजूरी नहीं दे रहे हैं और अपने ग्राहकों को पीएस की पेशकश करना चाहते हैं।

2.34 कहने का तात्पर्य यह है कि, MIB उन सभी MSO / LCO की सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करेगा, जो PS की पेशकश करना चाहते हैं और पंजीकरण के समय MHA सुरक्षा को मंजूरी नहीं दी गई थी, जबकि वे अपने PS को चलाते हैं। हालाँकि, अगर किसी समय पर MIB सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करता है, तो यह निर्धारित किया जाता है कि PS पर दी जाने वाली प्रोग्रामिंग सेवा और जिसे ऑनलाइन सिस्टम में पंजीकृत किया गया है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या सार्वजनिक हित के लिए अपर्याप्त है, MIB को MSO की आवश्यकता हो सकती है / LCO PS चैनल या प्रोग्रामिंग सेवा के वितरण से वापस लेने और / या पंजीकरण रद्द करने के लिए।

<u>हितधारकों की प्रतिक्रिया का सारांश:</u>

2.35 इस मुद्दे के जवाब में, अधिकांश हितधारकों ने परामर्श पत्र में वर्णित ट्राई के प्रस्तावित विचारों से सहमति व्यक्त की। हालांकि, कई एमएसओ ने सुझाव दिया कि सुरक्षा मंजूरी और / या पंजीकरण सहित सभी विनियामक अनुपालन की जिम्मेदारी संबंधित एमएसओ या एलसीओ की होनी चाहिए, जैसा कि मामला हो सकता है। इसके अलावा, कई एमएसओ ने यह भी प्रस्ताव रखा कि पीएस सेवाओं के व्यवधान से बचने के लिए, मौजूदा पीएस प्रदाताओं को सुरक्षा क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देशों के साथ विनियमों की अधिसूचना की तारीख से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक वर्ष की समय अवधि की पेशकश की जा सकती है। हितधारकों में से एक ने कहा कि ब्रॉडकास्टर के मामले में सुरक्षा मंजूरी आवश्यक है, एमएसओ / एलसीओ / डीटीएच ऑपरेटरों के मामले में म्यूटेटस म्यूटेंडिस लागू होना चाहिए।

2.36 इसके अलावा, एक डीपीओ ने सुझाव दिया कि एमएसओ / एचआईटीएस प्लेटफार्मों और सभी एलसीओ को अपने नेटवर्क में पीएस डालने में सक्षम होने के लिए सुरक्षा को मंजूरी देनी चाहिए। इसके अलावा कि सुरक्षा मंजूरी चल रही है, एलसीओ को अपने व्यवसाय पर प्रभावों से बचने के लिए पीएस सम्मिलित करने में सक्षम होना चाहिए। DTH ऑपरेटर का विचार था कि सभी DPO के लिए सुरक्षा मंजूरी अनिवार्य होनी चाहिए क्योंकि यह केवल लेवल प्लेइंग क्षेत्र को सुनिश्चित करेगा और LCO की पंजीकरण प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव लाया जाना चाहिए। इसके अलावा कि अगर सभी के लिए सुरक्षा मंजूरी संभव नहीं है, तो इसे कम से कम PS चैनल चलाने वालों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक ब्रॉडकास्टर ने कहा कि ब्रॉडकास्टर्स द्वारा आवश्यक सुरक्षा मंजूरी एमएसओ / एलसीओ / डीटीएच ऑपरेटरों के मामले में म्यूटैटिस-म्यूटेंडिस के आधार पर लागू होनी चाहिए।

2.37 कई हितधारकों ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रतिबंध को आठ सूचीबद्ध आधारों के भीतर आने की जरूरत है और 'सार्वजनिक हित' कोई जमीन उपलब्ध नहीं है। भारत के संविधान के कार्डिनल सिद्धांतों को पीएस के माध्यम से सामग्री के प्रसार से संबंधित मुद्दों को तय करते समय पत्र और भावना में लागू किया जाना चाहिए। कुछ एलसीओ और उनके एक संघ ने ट्राई के दृष्टिकोण से असहमत थे और सुझाव दिया कि यह संभव नहीं है और सभी LCOS के लिए सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करना संभव है। इसलिए विचार छोड़ा

जा सकता है। एक प्रसारक ने प्रस्तुत किया है कि पीएस चैनल प्रदान करने वाले एमएसओ / एलसीओ के लिए सुरक्षा मंजूरी उचित नहीं है और कोई उद्देश्य नहीं है। कार्यक्रम और विज्ञापन कोड के साथ एक सख्त अनुपालन किसी भी मीडिया में किसी भी सामग्री के लिए जरूरी है।

2.38 इसके अलावा, कई एमएसओ ने ट्राई से ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा तैयार करने का अनुरोध किया, क्योंकि वे प्लेटफॉर्म सेवाएं और पंजीकृत उपग्रह चैनलों के अवैध रूप से पुन: प्रसारण भी प्रदान कर रहे हैं।

<u>मुद्दे का विश्लेषण:</u>

2.39 प्राधिकरण ने डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर 2014 में प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे पर अपनी सिफारिशें भेज दी थीं। यह वांछनीय है कि पीएस की पेशकश करने वाले सभी एमएसओ सुरक्षा को मंजूरी दे चुके हैं। इसके अलावा, एमएसओ की स्वामित्व संरचना किसी भी समय बदल सकती है। ऐसे परिदृश्य में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह के एमएसओ एमआईबी को अपनी स्वामित्व स्थिति का पूरा खुलासा करें और मौजूदा नियमों और विनियमों का पालन करें। इसलिए, ट्राई का सुझाव है कि जब किसी सेवा प्रदाता के स्वामित्व ढांचे में कोई परिवर्तन होता है, तो एमआईबी सभी डीपीओ (जो पीएस की पेशकश कर रहे हैं) की सुरक्षा मंजूरी की समीक्षा कर सकते हैं।

2.40 सुरक्षा निकासी का एक महत्वपूर्ण पहलू उठता है जब भी पीएस प्रदान करने वाली इकाई के स्वामित्व / नियंत्रण में परिवर्तन होता है। ऐसे परिदृश्य में यह विवेकपूर्ण है कि ऐसे संगठन सुरक्षा मंजूरी की समीक्षा के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं और स्वामित्व / नियंत्रण संरचना में परिवर्तन का खुलासा करते हैं। MIB PS को प्रदान करने के लिए पंजीकरण देने के समय DPO के स्पष्ट उपक्रम की तलाश करने के लिए एक तंत्र का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा, एमआईबी स्वामित्व / नियंत्रण और समीचीन कार्रवाई में किसी भी अपरिवर्तित परिवर्तन की निगरानी के लिए एक आवधिक निगरानी प्रक्रिया विकसित कर सकता है।

2.41 जैसा कि ओटीटी के बारे में सुझावों / टिप्पणियों का संबंध है, यह ध्यान दिया जाता है कि वर्तमान परामर्श का विषय नहीं है।

<u>प्राधिकरण की सिफारिश</u>

2.42 उपर्युक्त को देखते हुए, TRAI MIB द्वारा दिए गए सुझाव से सहमत है। इसके अलावा MIB उन सभी डीपीओ (जो पीएस की पेशकश कर रहे हैं) की सुरक्षा मंजूरी की समीक्षा करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित कर सकते हैं, जहां भी उनके स्वामित्व / नियंत्रण में कोई बदलाव हो। MIB स्वामित्व / नियंत्रण बदलने के मामले में MIB को विधिवत अधिसूचित करने के लिए PS की अनुमति देने के समय DPOs से अपेक्षित उपक्रम प्राप्त कर सकता है।

भाग II- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) से प्राप्त 23 अक्टूबर 2020 के संदर्भ की प्रतिक्रिया ट्राई की सिफारिशों पर दिनांक 13 नवंबर 2019 तक

2.43 प्राधिकरण ने 19.11.2014 और 13.11.2019 की अपनी सिफारिशों पर MIB की टिप्पणियों की जांच की है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्राधिकरण ने उक्त एमआईबी पत्र में उल्लिखित बिंदुओं पर ही विचार किया है। ट्राई की सिफारिशें, एमआईबी के विचार, हितधारकों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण और प्राधिकरण की सिफारिशें इस प्रकार हैं:

D. ट्राई की सिफारिशों का पैरा 2.7 दिनांक 13.11.2019

<u>पहले की सिफारिश:</u>

2.44 प्राधिकरण १ ९ नवंबर २०१४ को 'प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे' में अनुशंसित पीएस की परिभाषा को दोहराता है। डीटीएच ऑपरेटरों के लिए प्लेटफॉर्म सेवाओं (पीएस) की परिभाषा इस प्रकार होगी:

"प्लेटफ़ॉर्म सेवाएं (PS) वितरण प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर्स (DPO) द्वारा अपने स्वयं के ग्राहकों के लिए विशेष रूप से प्रसारित कार्यक्रम हैं और इसमें दूरदर्शन चैनल और पंजीकृत टीवी चैनल शामिल नहीं हैं। PS में विदेशी टीवी चैनल शामिल नहीं होंगे जो भारत में पंजीकृत नहीं हैं।"

पंजीकृत टीवी चैनलों या टेलीविज़न चैनलों का अर्थ एक चैनल है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नीति दिशानिर्देशों के तहत डाउनलिंक करने की अनुमति दी गई है या "चैनल" शब्द के संदर्भ में "टेलीविजन" के संदर्भ के रूप में निर्माण किया जाएगा। चैनल"।

<u>MIB देखें:</u>

2.45 एमएसओ / एलसीओ द्वारा प्रस्तुत प्लेटफ़ॉर्म सर्विसेज के संबंध में उपरोक्त अनुशंसाओं को अपनाना प्रस्तावित है, जहाँ भी आवश्यक हो, "डीटीएच" शब्द को "एमएसओ / एलसीओ" के साथ उचित रूप से प्रतिस्थापित किया जाए।

<u>हितधारकों की प्रतिक्रिया का सारांश:</u>

2.46 प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं की परिभाषा के संबंध में, कई एमएसओ ने सुझाव दिया कि शब्द 'प्रोग्राम' शब्द को 'प्रोग्राम सर्विसेज' शब्द से बदल दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं के लिए निम्नलिखित परिभाषा प्रस्तावित की:

> ***"प्लेटफ़ॉर्म सर्विस" -*** *प्रोग्राम सेवाएँ हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर्स (DPOs) के पते के माध्यम से अपने स्वयं के ग्राहकों के लिए विशेष रूप से प्रसारित की जाती हैं और इसमें दूरदर्शन चैनल, ग्राउंड-आधारित चैनल और सैटेलाइट टीवी चैनल शामिल नहीं हैं "*

2.47 कई हितधारकों ने इस बात का विरोध किया है कि कॉपीराइट अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के बाद, पीएस चैनलों पर सामग्री की विशिष्टता का निर्णय बाजार बलों द्वारा किया जाना चाहिए। इसी तरह, एक डीटीएच ऑपरेटर ने यह भी सुझाव दिया कि TRAI सामग्री / कार्यक्रम विशिष्टता को अनिवार्य नहीं कर सकता है। सुझावों में से एक यह था कि प्लेटफ़ॉर्म सर्विसेज की परिभाषा, किसी विशेष टीवी चैनल जैसे कंटेंट, किसी अन्य टीवी चैनल की कंटेंट पर सुरक्षित नहीं है। एक एमएसओ ने सुझाव दिया है कि स्पष्टता लाने के लिए ग्राउंड-आधारित चैनलों को CTN अधिनियम / विनियमों में परिभाषित करने की आवश्यकता है।

2.48 एक DPO ने कहा कि प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं की परिभाषा में 'HITS ऑपरेटरों के मामले में' और / या उनके जुड़े LCOs शब्द 'डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर्स (DPOs)' के बाद जोड़े जा सकते हैं। एक ब्रॉडकास्टर ने इस बात पर जोर दिया कि प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं की परिभाषा में, 'ऑपरेशन के अपने क्षेत्र के भीतर' शब्द 'विशेष रूप से अपने स्वयं के ग्राहकों के लिए' शब्दों के बाद जोड़ा जा सकता है। एक अन्य ब्रॉडकास्टर ने प्रस्ताव दिया है कि पीएस की परिभाषा में डीडी के अलावा सभी कार्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार (सीजी) द्वारा अनुमति प्राप्त सैटेलाइट चैनलों को केवल अपने ग्राहकों को प्रेषित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एक अन्य सुझाव यह है कि MSOs / LCO / DTH द्वारा PS की अनुमति देने वाला कोई भी नियम ऐसे सभी प्रतिबंधों या कम से कम न्यूनतम के अधीन होगा जो इस तरह के प्रतिबंधों के उद्देश्यों को आगे बढ़ा सकता है और उन्हें पराजित नहीं कर सकता है।

2.49 एक एसोसिएशन ने टिप्पणी की है कि प्राधिकरण को दूरदर्शन चैनलों और पंजीकृत टीवी चैनलों के साथ-साथ ग्राउंड-आधारित चैनलों को शामिल करने पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने प्राधिकरण से बाजार तंत्र और समझौतों को प्रतिबंधित करने के संभावित नकारात्मक प्रभाव पर विचार करने का भी आग्रह किया, जैसे कि विशिष्टता के आसपास के लोग। इन्हें बाजार की ताकतों पर छोड़ देना चाहिए।

<u>मुद्दे का विश्लेषण:</u>

2.50 एमएसओ के लिए प्रासंगिक प्रावधान लागू करने के लिए मंत्रालय द्वारा दिया गया सुझाव काफी महत्वपूर्ण है। डिजिटलकरण के पूरा होने के बाद से, प्राधिकरण ने एक सामान्य विनियामक व्यवस्था के लिए प्रयास किया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीएएस नेटवर्क में, पीएस चैनल केवल हेड-एंड पर एमएसओ द्वारा डाले जा सकते हैं। ट्राई द्वारा 2019 परामर्श डीटीएच सेवा प्रदाताओं के लिए विशिष्ट था, एमआईबी संदर्भ में उल्लिखित प्रावधान नवंबर 2014 में ट्राई द्वारा की गई सिफारिश के समान है। प्राधिकरण द्वारा दी गई प्लेटफॉर्म सेवाओं की परिभाषा, डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तावित 'प्लेटफॉर्म सेवाओं पर सिफारिशें' दिनांक 13 नवंबर 2019 वही है जो प्राधिकरण ने 19 नवंबर 2014 की अपनी सिफारिशों में सिफारिश की थी। पंजीकृत टीवी चैनलों या टेलीविजन चैनलों या चैनल से संबंधित

कुछ स्पष्टीकरण 2019 में जोड़ा गया है। प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं की परिभाषा में कोई सामग्री परिवर्तन नहीं है इस स्पष्टीकरण के कारण।

2.51 पीएस पर सामग्री की विशिष्टता के संबंध में मुद्दों को 19 नवंबर 2014 की अपनी सिफारिशों में विवरण में संबोधित किया गया है। इसी तरह, जमीन आधारित चैनलों के मुद्दे को भी अपनी पिछली सिफारिशों में संबोधित किया गया है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भारत में किसी भी टीवी नेटवर्क के माध्यम से वितरित किसी भी टीवी चैनल को एक विनियामक ढांचे द्वारा कवर किया गया है। बैक-रेफरेंस के आधार पर, एमआईबी ने बताया कि 19 नवंबर 2014 को 'रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर प्लैटफॉर्म सर्विसेज' के हिस्से के रूप में की गई अन्य सभी सिफारिशों को इस संदर्भ में पत्र (अनुबंध I) के तहत स्वीकार कर लिया गया है। प्राधिकरण को उम्मीद है कि ग्राउंड आधारित प्रसारकों की सिफारिशों को जल्द ही लागू किया जाएगा।

प्राधिकरण की सिफारिश

2.52 प्राधिकरण, इसलिए, एमआईबी के विचारों से सहमत है। प्लेटफ़ॉर्म सर्विसेज (PS) की परिभाषा इस प्रकार होगी:

"प्लेटफ़ॉर्म सेवाएं (PS) वितरण प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर्स (DPO) द्वारा अपने स्वयं के ग्राहकों के लिए विशेष रूप से प्रसारित कार्यक्रम हैं और इसमें दूरदर्शन चैनल और पंजीकृत टीवी चैनल शामिल नहीं हैं। PS में विदेशी टीवी चैनल शामिल नहीं होंगे जो भारत में पंजीकृत नहीं हैं।"

पंजीकृत टीवी चैनलों या टेलीविज़न चैनलों का अर्थ एक चैनल है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के तहत डाउनलाइनिंग की अनुमति दी गई है या समय-समय पर संशोधित किया गया है और 'चैनल' शब्द का संदर्भ 'टेलीविज़न' के संदर्भ में बनाया जाएगा। चैनल'।

E. ट्राई की सिफारिशों का पैरा 2.16 दिनांक 13.11.2019

<u>पहले की सिफारिश:</u>

2.53 प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि:

(a) डीटीएच ऑपरेटर द्वारा एक प्लेटफॉर्म सेवा के रूप में प्रसारित कार्यक्रम अनन्य होगा और इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर (डीपीओ) के साथ साझा करने की अनुमति नहीं होगी।

(b) डीटीएच ऑपरेटर द्वारा एक मंच सेवा के रूप में प्रसारित कार्यक्रम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी पंजीकृत टीवी चैनल या दूरदर्शन चैनल या विदेशी टीवी चैनल को शामिल नहीं करेगा। पंजीकृत टीवी चैनलों की टाइम-शिफ्ट फीड (जैसे +1 सेवाएं) को प्लेटफॉर्म सेवा के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

(c) डीटीएच ऑपरेटर मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना और प्रदान करना होगा कि प्रसारित कार्यक्रम उनके मंच के लिए विशिष्ट है और किसी अन्य डीपीओ के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साझा नहीं किया गया है।

(d) यदि वही कार्यक्रम किसी अन्य डीपीओ के पीएस पर उपलब्ध है, तो MIB / TRAI ऐसे कार्यक्रम के प्रसारण को तुरंत रोकने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। DIB ऑपरेटर के ऐसे PS के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार MIB के पास भी है।

MIB देखें:

2.54 एमएसओ / एलसीओ द्वारा प्रस्तुत प्लेटफ़ॉर्म सर्विसेज के संबंध में उपरोक्त सिफारिशें अपनाना प्रस्तावित है, जहाँ भी आवश्यक हो, "डीटीएच" शब्द को "एमएसओ / एलसीओ" के साथ उचित रूप से प्रतिस्थापित किया जाए।

हितधारकों की प्रतिक्रिया का सारांश:

2.55 इस मुद्दे के जवाब में, कई एमएसओ प्राधिकरण के सिफारिश (ए) (सी) और (डी) के पैरा के संबंध में भिन्न थे। इसके अलावा, अधिकांश MSO का कहना है कि DTH को MSO (L) / LCO (एस) से लैस करना मूलभूत रूप से गलत है क्योंकि वे अपने लाइसेंस की शर्तों, ग्राहक आधार, संगठन संरचना, ट्रांसमिशन एट cetera के मोड के संदर्भ में अविश्वसनीय रूप से भिन्न हैं। इसलिए, एक समान विनियामक व्यवस्था निर्धारित करना बहुत गलत, अनुचित और असमान है। इसके अलावा, एक डीपीओ ने टिप्पणी की कि डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं (तिथि के अनुसार अवैध रूप से पेश की जा रही हैं) उपग्रह आधारित हैं और इसलिए, डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा लागू शुल्क, सहित लागू प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं पर उपग्रह आधारित चैनलों पर लागू होने वाले प्रावधान लागू होने चाहिए, पात्रता मानदंड और अन्य शर्तें।

2.56 इसके अलावा, कई एमएसओ ने प्रस्तावित किया कि प्लेटफ़ॉर्म चैनलों को साझा करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि इससे एमएसओ की बचत लागत में मदद मिलती है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक रूप से प्रसिद्ध मंदिरों आदि से लाइव कंटेंट प्रसारित करने वाले चैनलों को प्लेटफॉर्म चैनल नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि कई LCN का टेलिकास्टिंग नियर वीडियो-ऑन-डिमांड (NVOD[6]) सामग्री को एक प्लेटफॉर्म चैनल के रूप में माना जाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि TRAI और MIB को प्लेटफ़ॉर्म चैनल ऑपरेटरों को पंजीकृत करना चाहिए और सुरक्षा मंजूरी के लिए जाना चाहिए। लेकिन प्लेटफार्म चैनल की सामग्री पीसी ऑपरेटर की जिम्मेदारी होनी चाहिए, न कि डीपीओ की।

2.57 कई प्रसारकों की राय थी कि इसमें केवल एक शर्त शामिल की जा सकती है कि एक डीपीओ के पीएस पर उपलब्ध कार्यक्रम अपने स्वयं के नेटवर्क / ग्राहकों के लिए अनन्य होना चाहिए, और इस तरह के पीएस को अन्य डीपीओ के साथ साझा / उपलब्ध नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कुछ हितधारकों ने यह भी विरोध किया कि केवल यह शर्त भी शामिल की जा सकती है कि PS पर उपलब्ध कार्यक्रम केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम में पाए गए प्रोग्राम कोड की शर्तों के पालन में हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के प्रावधान । एक ब्रॉडकास्टर ने टिप्पणी की कि डीपीओ द्वारा पेश पीएस के तहत प्रोग्रामिंग में समाचार और वर्तमान मामले शामिल नहीं होंगे।

2.58 आगे एक सुझाव यह था कि PS पर कार्यक्रमों / सामग्री की विशिष्टता की मांग का कोई आधार नहीं है, और न ही MIB TV चैनल पर सामग्री और प्रोग्रामिंग के लिए ऐसी कोई विशिष्टता है। 'सामग्री की विशिष्टता' सामग्री के लाइसेंसिंग / उप-लाइसेंसिंग से संबंधित मामला है, जो कि मुद्दे स्पष्ट रूप से कॉपीराइट अधिनियम द्वारा नियंत्रित और शासित हैं। किसी भी उचित औचित्य में कोई क़ानून या क़ानून नहीं है जो प्राधिकरण या MIB को अधिकार देता हो, उन नियमों या शर्तों को निर्धारित करता हो जो सामग्री के लाइसेंस को प्रभावित करती हैं, या सामग्री के लाइसेंस या या सामग्री लाइसेंसधारी के व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करती हैं। इसी तरह, एक हितधारक ने कहा कि अन्य डीपीओ के साथ प्लेटफ़ॉर्म सर्विसेज (पीएस) के कार्यक्रमों को साझा करने की अनुमति किसी भी विशिष्टता के बिना दी जानी चाहिए। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 14 कॉपीराइट स्वामी को "उनकी जनता के लिए समान संवाद" द्वारा उनकी सामग्री का अधिकतम व्यावसायीकरण करने का अधिकार देती है। एक प्रतिबंध, जैसे कि किसी एक डीपीओ के पीएस पर कार्यक्रमों की विशिष्टता एक कॉपीराइट मालिक के अधिकारों के प्रयोग की गुंजाइश को सीमित करती है और इससे कॉपीराइट कानून की भावना की उपेक्षा होती है। इसके अलावा, एक डीपीओ ने टिप्पणी की कि पीएस चैनलों पर सामग्री की विशिष्टता जैसे मुद्दों को केवल बाजार बलों द्वारा तय किया जाना चाहिए। एक

[6] एनवीओडी या नियर वीडियो ऑन डिमांड एक वीडियो डिलीवरी सेवा है। यह एक दर्शक को प्रसारण वीडियो चैनलों की एक सीमित संख्या से चुनने की अनुमति देता है जब वे प्रसारित होते हैं। एनवीओडी चैनल पे-पर-व्यू सेवाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं और उनका पूर्व निर्धारित समय निर्धारित है। NVOD में, चयन के लिए उपलब्ध कार्यक्रमों को चैनलों के समूह पर कंपित अंतराल (जैसे 20 मिनट) पर प्रसारित किया जाता है, ताकि दर्शक सबसे उपयुक्त स्टार्ट-टाइम का चयन कर सकें। https://www.muvi.com/wiki/nvod-near-video-demand.html

एसोसिएशन ने प्राधिकरण से पीएस चैनलों की विशिष्टता के बारे में प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का भी आग्रह किया।

2.59 एक डीपीओ ने टिप्पणी की कि अधिकांश सामग्री / कार्यक्रम सामग्री वितरकों से खरीदे जाते हैं जो कई डीपीओ / प्रसारकों को अधिकार बेचते हैं। किसी डीपीओ को कैसे पता चलेगा कि वह सामग्री / कार्यक्रम अन्य डीपीओ को भी बेची गई है? इसी तरह, एक डीटीएच ऑपरेटर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डीपीओ अपने प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष के सामग्री प्रदाताओं से अपनी सामग्री का स्रोत बना रहे हैं। अब यदि बहिष्करण को अनिवार्य किया जाता है, तो सामग्री की लागत न केवल अधिक या अधिक हो जाएगी, वही डीपीओ द्वारा एकाधिकारवादी प्रथाओं को भी बढ़ावा देगा ताकि उनके अनन्य मंच के लिए कोई भी सामग्री प्राप्त हो सके और जिससे अन्य प्लेटफार्मों के ग्राहकों को समान देखने से वंचित किया जा सके। यह निश्चित रूप से प्रतियोगिता के लिए प्रतिबंधात्मक होगा और बाजार पर जबरदस्त नकारात्मक प्रभाव डालेगा।

2.60 इसी तरह, कुछ एलसीओ और उनके एक संघ ने भी टिप्पणी की कि यह एलसीओ के हितों के लिए हानिकारक है। आर्थिक कारणों से, एलसीओ कुछ सामग्री बनाने वाली एजेंसियों से मासिक सदस्यता के आधार पर सामग्री खरीदता है। ऐसी स्थिति में, सामग्री को विभिन्न बाजारों में कई प्लेटफार्मों पर देखा जा सकता है। इसके अलावा, एक व्यक्तिगत हितधारक ने कहा कि आमतौर पर, एलसीओ कुछ सामग्री बेचने वाली एजेंसियों पर निर्भर करते हैं क्योंकि अनन्य सामग्री के निर्माण की लागत बहुत अधिक है। कुछ एजेंसियां प्रति माह मासिक सदस्यता पर कम से कम 5-8 घंटे की सामग्री की आपूर्ति करती हैं। 5,000 से 8,000 रु। ऐसे परिदृश्य में, अगर ऐसी स्थिति है कि सामग्री के दोहराव की अनुमति नहीं है, तो एलसीओ के लिए केबल चैनल चलाना बहुत मुश्किल है।

मुद्दे का विश्लेषण:

2.61 सामग्री की विशिष्टता से संबंधित मुद्दे पहले ही अपनी पिछली सिफारिशों में चर्चा कर चुके हैं। यह दोहराया जाता है कि प्राधिकरण का विचार है कि प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं (PS) को वितरण प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर्स (DPO) द्वारा अपने स्वयं के ग्राहकों के लिए विशेष रूप से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम होने चाहिए। पीएस चैनल एक सामान्य उपग्रह प्रसारण चैनल नहीं है (और नहीं बनना चाहिए)। यदि कोई ऐसा चैनल है जो शहरों / क्षेत्रों में लोकप्रिय है, तो वे एक ब्रॉडकास्टर के रूप में पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

2.62 जैसा कि पीएस चैनलों पर सामग्री की जिम्मेदारी है, प्राधिकरण ध्यान देता है कि प्रत्येक डीपीओ को कार्यक्रम और विज्ञापन कोड का पालन करना आवश्यक है। इसलिए, यह अंतर्निहित है कि प्रत्येक वितरक अपने संबंधित पीएस चैनलों पर दी गई सामग्री के लिए जिम्मेदार है।

2.63 पीएस चैनलों पर समाचार और वर्तमान मामलों की पेशकश के संबंध में, प्राधिकरण का मत है कि डीपीओ को अपने पीएस में समाचार सामग्री को स्वतंत्र रूप से शामिल करने की अनुमति देना न तो समाचार प्रसारकों के लिए उचित है और न ही उचित। स्थानीय समाचारों और वर्तमान मामलों के अप्रकाशित (अनियमित) प्रसार के महत्वपूर्ण सुरक्षा निहितार्थ हैं। इसलिए, केवल स्थानीय मामलों / सूचना बुलेटिनों को पूरी तरह से स्थानीय संसाधनों से प्राप्त किया जाता है, केबल ऑपरेटर द्वारा संचालित PS चैनलों पर अनुमति दी जानी चाहिए। समाचार एजेंसी स्रोतों से समाचार या प्रसारण टीवी चैनलों से प्राप्त राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को पीएस की सामग्री के रूप में प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

2.64 डीटीएच ऑपरेटरों और एमएसओ के दिशानिर्देशों की एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, डीटीएच के लिए की गई सिफारिशें एमएसओ सहित सभी डीपीओ के लिए लागू हो सकती हैं।

<u>प्राधिकरण की सिफारिश</u>

2.65 प्राधिकरण एमआईबी के विचारों से सहमत है। प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि:

(a) डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) ऑपरेटर / मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) / इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) / हेड-एंड-इन द स्काई (एचआईटीएस) ऑपरेटर द्वारा प्लेटफॉर्म सेवा के रूप में प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम अनन्य होगा और वही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य वितरण प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर (DPO) के साथ साझा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(b) डीटीएच ऑपरेटर / एमएसओ / आईपीटीवी / एचआईटीएस ऑपरेटर द्वारा एक प्लेटफॉर्म सेवा के रूप में प्रसारित कार्यक्रम सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किसी पंजीकृत टीवी चैनल या दूरदर्शन चैनल या विदेशी टीवी चैनल को शामिल नहीं करेगा। पंजीकृत टीवी चैनलों की टाइम-शिफ्ट फीड (जैसे +1 सेवाएं) को प्लेटफॉर्म सेवा के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

(c) डीटीएच ऑपरेटर / एमएसओ / आईपीटीवी / एचआईटीएस ऑपरेटर मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना और प्रदान करना होगा कि प्रसारित कार्यक्रम उनके प्लेटफॉर्म के लिए विशिष्ट है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य डीपीओ के साथ साझा नहीं किया गया है।

(d) यदि वही कार्यक्रम किसी अन्य डीपीओ के पीएस पर उपलब्ध है, तो MIB / TRAI ऐसे कार्यक्रम के प्रसारण को तुरंत रोकने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। MIB भी डीटीएच ऑपरेटर / MSO / IPTV / HITS ऑपरेटर के ऐसे PS के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

F. ट्राई की सिफारिशों का पैरा 2.37 दिनांक 13.11.2019

पहले की सिफारिश:

2.66 प्राधिकरण की सिफारिश है कि डीटीएच ऑपरेटर समय-समय पर ट्राई द्वारा जारी किए गए आदेशों / निर्देशों / विनियमों में निर्धारित प्लेटफॉर्म सेवाओं की सक्रियता / निष्क्रियता का विकल्प प्रदान करेंगे।

MIB देखें:

2.67 एमएसओ / एलसीओ द्वारा प्रस्तुत प्लेटफ़ॉर्म सर्विसेज के संबंध में उपरोक्त अनुशंसाएँ अपनाना प्रस्तावित है, जहाँ भी आवश्यक हो, "डीटीएच" शब्द को "एमएसओ / एलसीओ" के साथ उचित रूप से प्रतिस्थापित किया जाए।

हितधारकों की प्रतिक्रिया का सारांश:

2.68 प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं की सक्रियता / निष्क्रियता के विकल्प के संबंध में, कई हितधारकों ने परामर्श पत्र में वर्णित ट्राई के प्रस्तावित विचारों के साथ समझौता किया था। वास्तव में, कई एमएसओ ने संकेत दिया कि वे पहले से ही सब्सक्राइबर / उपभोक्ताओं को प्लेटफॉर्म सेवाओं को सक्रिय / निष्क्रिय करने का विकल्प प्रदान कर रहे हैं।

2.69 हालांकि, कई एमएसओ ने प्रस्तावित किया कि यदि प्लेटफ़ॉर्म सेवा एक मुफ्त सेवा है और ग्राहक द्वारा चुने गए डीपीओ गुलदस्ते का हिस्सा किसी विशेष चैनल के इस तरह के निष्क्रिय होने के लिए अनिवार्य नहीं होगा। इसी तरह, कुछ प्रसारकों ने सुझाव दिया कि यदि पीएस सेवाओं को डीपीओ द्वारा नि: शुल्क पेश किया जाता है, तो यह डिफ़ॉल्ट रूप से दर्शक को प्रदान किया जा सकता है, हालांकि अगर दर्शक विशेष रूप से इस तरह की मुफ्त प्लेटफार्म सेवा को बंद करने का विकल्प चुनता है, तो इसे प्रदान किया जाना चाहिए। बिना शर्त के सदस्यता रद्द करने का विकल्प। एक डीपीओ ने टिप्पणी की कि वे ट्राई / एमआईबी के साथ इस बात पर सहमत हैं कि किसी भी पीएस को पूरी तरह से संबोधित किया जाना चाहिए और इन सेवाओं को सक्रिय / निष्क्रिय करने का विकल्प एमएसओ / एचआईटीएस ऑपरेटरों दोनों के साथ-साथ एलसीओ के साथ भी होना चाहिए। प्राप्त एक सुझाव यह था कि पीएस चैनलों को डीपीओ द्वारा नेटवर्क क्षमता शुल्क के उद्देश्य से नहीं गिना जाना चाहिए।

2.70 इसके अलावा, एक ब्रॉडकास्टर का विचार था कि न्यूज़ चैनलों के मामले में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए (विशेषकर जो पीएस की तरह एफटीए हैं या नाममात्र या नगण्य राशि पर हैं) जो डीपीओ द्वारा अनिवार्य और अनिवार्य हैं उपभोक्ता की पसंद को पीएस जैसे चैनलों को देखने और न करने की प्रधानता दी जानी चाहिए।

2.71 हालांकि, एक एसोसिएशन ने देखा है कि ट्राई के पास विनियामक सेवाओं के तहत मंच सेवाएं लाने के लिए विधायी आधार नहीं है। इसके अलावा एक संघ ने भी पीएस के नियमन में संयम बरतने के लिए प्राधिकरण से आग्रह किया, क्योंकि उनके पास स्थानीय प्रदाताओं को प्रभावी ढंग से उनके प्रसाद को अलग करने में मदद करने की क्षमता है, खासकर प्रतिस्पर्धी बाजारों में।

<u>मुद्दे का विश्लेषण:</u>

2.72 यह ध्यान दिया जा सकता है कि दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा मानकों की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (पता करने योग्य प्रणाली) विनियम, 2017, दिनांक 3 मार्च 2017 को, चैनलों के सक्रियण और निष्क्रिय होने की प्रक्रिया को विनियमन 6 और 7 के लिए निर्धारित किया गया है। ।

2.73 ट्राई अधिनियम, ट्राई को दूसरों के बीच, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर्संबंध सुनिश्चित करने के लिए, सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्टिविटी के नियमों और शर्तों को ठीक करने और दूरसंचार प्रदान करने से प्राप्त राजस्व को साझा करने के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्था को विनियमित करने के कार्यों के साथ सौंपता है। सेवाएं। इसके अलावा, TRAI, एक क्षेत्रीय विनियामक होने के नाते, एक स्तर के खेल मैदान और निष्पक्ष प्रतियोगिता को सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। इसलिए, TRAI के पास PS के सक्रियण और निष्क्रियकरण सहित सभी मुद्दों को देखने की शक्ति है।

2.74 डीपीओ के मंच पर समाचार चैनल की अनिवार्य और अनिवार्य गाड़ी के संबंध में, प्राधिकरण का मानना है कि दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (पता करने योग्य प्रणाली) विनियम, 2017 के तहत पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। चैनलों के लिए प्रवेश बाधा और यह सुनिश्चित करता है कि चैनल के वितरण के लिए नेटवर्क सुलभ है। 'मस्ट कैरी' डीपीओ के हिस्से को प्रसारणकर्ताओं के टीवी चैनलों के संकेतों को ले जाने के लिए अनिवार्य बनाता है, गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, बशर्ते कि डीपीओ के पास पर्याप्त अतिरिक्त चैनल हो।

2.75 ट्राई द्वारा 2017 में पेश किए गए नए विनियामक ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य यह था कि उपभोक्ता वास्तविक निर्णय निर्माता बन जाता है कि वह क्या / क्या देखता है और उसे यह चुनने की पूरी स्वतंत्रता है कि वह केवल इसके लिए भुगतान करना चाहता है। नए विनियामक ढांचे में कहा गया है कि डीपीओ के वितरण मंच पर उपलब्ध सभी चैनलों को एक ला-कार्टे आधार (गुलदस्ते के साथ) पर पेश किया जाना है। इसलिए, एक अंतर्निहित सिद्धांत के रूप में डीपीओ को उपभोक्ताओं को किसी विशेष चैनल के लिए चुनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, यहां तक कि एक पीएस भी। प्राधिकरण की राय है कि भले ही एक प्लेटफॉर्म सर्विस चैनल (चैनल) फ्री हो, संबंधित उपभोक्ताओं के पास चैनल को सक्रिय / निष्क्रिय करने के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए।

2.76 मंत्रालय द्वारा एमएसओ को प्रासंगिक प्रावधान लागू करने का सुझाव काफी उपयुक्त है। डिजीटलाइजेशन पूरा होने के बाद से, प्राधिकरण ने एक सामान्य विनियामक व्यवस्था हासिल करने का प्रयास किया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नवंबर 2014 से बाजार की गतिशीलता बदल गई है। हालांकि, ट्राई द्वारा 2019 परामर्श डीटीएच सेवा प्रदाताओं के लिए विशिष्ट था, एमआईबी संदर्भ में उल्लिखित प्रावधान काफी सामान्य और समर्थक उपभोक्ता हैं। डीएएस प्रणाली ए-ला-कार्टे आधार पर चैनलों की सक्रियता / निष्क्रियता से संबंधित सुविधाओं के लिए प्रदान करती है। यह एमएसओ सहित सभी डीपीओ पर लागू होना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को उनकी पसंद का प्रयोग करने में मदद मिल सके।

<u>प्राधिकरण की सिफारिश</u>

2.77 प्राधिकरण एमआईबी के विचारों से सहमत है। प्राधिकरण का सुझाव है कि डीटीएच ऑपरेटर / एमएसओ / आईपीटीवी / एचआईटीएस ऑपरेटर समय-समय पर ट्राई द्वारा जारी किए गए आदेशों / निर्देशों / विनियमों में निर्धारित प्लेटफॉर्म सेवाओं की सक्रियता / निष्क्रियता का विकल्प प्रदान करेगा।

G ट्राई की सिफारिशों का पैरा 2.45 दिनांक 13.11.2019

<u>पहले की सिफारिश:</u>

2.78 प्राधिकरण की सिफारिश है कि:

(a) प्लेटफार्म सेवा चैनल ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों / निर्देशों / विनियमों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल गाइड (ईपीजी) में शैली 'प्लेटफॉर्म सर्विसेज' के तहत वर्गीकृत किए जाएंगे।

(b) समय-समय पर TRAI द्वारा जारी किए गए आदेशों / निर्देशों / विनियमों के अधीन प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म सेवा के विरुद्ध प्लेटफ़ॉर्म सेवा का संबंधित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) ईपीजी में प्रदर्शित किया जाएगा।

(c) 'प्लेटफ़ॉर्म सर्विसेज 'के रूप में कैप्शन लगाने का प्रावधान रैखिक सेवाओं से प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं को अलग करने के लिए आवश्यक हो सकता है। सरकार कैप्शन को एक ऐसे आकार में तय कर सकती है जो उपभोक्ताओं द्वारा देखने योग्य हो।

MIB देखें:

2.79 एमएसओ / एलसीओ द्वारा प्रस्तुत प्लेटफ़ॉर्म सर्विसेज के संबंध में भी उपरोक्त सिफारिशें अपनाना प्रस्तावित है, जहाँ भी आवश्यक हो, "डीटीएच" शब्द को "एमएसओ / एलसीओ" के साथ उचित रूप से प्रतिस्थापित किया जाए।

हितधारकों की प्रतिक्रिया का सारांश:

2.80 इस मुद्दे के जवाब में, कई हितधारकों ने परामर्श पत्र में वर्णित ट्राई के प्रस्तावित विचारों से सहमति व्यक्त की। प्रसारकों ने कहा कि नई / अलग शैली "प्लेटफ़ॉर्म सर्विसेज" के तहत ईपीजी में पीएस का अलग वर्गीकरण होना चाहिए। इस संबंध में, टीवी स्क्रीन पर शीर्षक 'PS' के तहत एक फ़ॉन्ट आकार में PS चैनलों के नाम और अनुक्रम संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रावधान करना अनिवार्य है ताकि उन्हें नियमित टीवी चैनलों से अलग किया जा सके। इसी तरह, एक ब्रॉडकास्टर ने सुझाव दिया कि सभी पीएस चैनलों को स्पष्ट रूप से शीर्षक दिया जाना चाहिए और उपग्रह चैनलों की सूची के अंत के बाद अलग-अलग रंग, फ़ॉन्ट, संख्या श्रृंखला में अलग-अलग ईपीजी के तहत सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

2.81 एक सुझाव / टिप्पणी मिली थी कि ट्राई के पास अपने विनियामक छाता के तहत पीएस लाने का विधायी आधार नहीं है। एक एसोसिएशन ने प्राधिकरण से आग्रह किया कि मंच सेवाओं के नियमन में संयम बरतें, क्योंकि जब बड़े पैमाने पर बाजार की शक्तियों को छोड़ दिया जाता है, तो पीएस में स्थानीय प्रदाताओं को अपने प्रसाद को प्रभावी ढंग से अलग करने में मदद करने की क्षमता होती है, खासकर प्रतिस्पर्धी बाजारों में।

2.82 इसके अलावा, एक डीपीओ ने प्रस्ताव दिया कि सभी पीएस को अपनी शैली में रखा जाना चाहिए। हालाँकि, HITS / MSO के मामले में, उन PS को दर्शाने के लिए एक भेदभाव होना चाहिए जो MSO / HITS ऑपरेटर द्वारा सम्मिलित किए जाते हैं और जिन्हें LCO द्वारा डाला जाता है। एक डीपीओ ने सुझाव दिया कि, एमएसओ (एस) के लिए "पीएस" नामक ईपीजी में एक अलग शैली का होना अनिवार्य नहीं होना चाहिए और यह उनके लिए संबंधित शैलियों में प्लेटफॉर्म सेवाओं को रखने के लिए खुला होना चाहिए, ताकि एक ग्राहकों के लिए शैली के भीतर बेहतर अनुभव और पसंद।

<u>मुद्दे का विश्लेषण:</u>

2.83 ट्राई अधिनियम के अनुसार ट्राई की शक्तियों के बारे में पिछले मुद्दों में निपटा दिया गया है। मौजूदा नियमों के अनुसार, ट्राई ने नौ शैलियों - 'भक्ति', 'सामान्य मनोरंजन', 'इन्फोटेनमेंट', 'किड्स', 'मूवीज़', 'म्यूज़िक', 'न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स', 'स्पोर्ट्स' और 'विविध' को अधिसूचित किया है। । प्रसारकों को अपने चैनलों की शैली की घोषणा करनी होती है और वितरकों को अपने मंच पर उपलब्ध सभी टेलीविजन चैनलों को इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में रखना होता है, इस तरह से किसी विशेष भाषा के सभी टेलीविजन चैनलों को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है और एक टेलीविजन चैनल केवल एक स्थान पर दिखाई देगा। प्राधिकरण का विचार है कि PS चैनलों को EPG पर अलग से रखा जाना चाहिए और ऐसे चैनलों को 'प्लेटफ़ॉर्म सर्विसेज' शैली के तहत रखा जाना चाहिए। उपभोक्ताओं को ऐसे चैनलों की पहचान करने और इन प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं के चयन के बारे में सूचित विकल्प बनाने में सक्षम होना चाहिए

2.84 प्राधिकरण का विचार है कि प्रसारकों के चैनलों के बीच प्लेटफॉर्म सेवाओं की नियुक्ति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे चैनलों को रखने के लिए एक अलग शैली का गठन किया जाना चाहिए। प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं को रैखिक टीवी चैनलों से अलग करने के लिए 'प्लेटफ़ॉर्म सर्विसेज' के रूप में कैप्शन लगाने का प्रावधान आवश्यक हो सकता है। इससे उपभोक्ताओं के मन में स्पष्टता आएगी। MIB कैप्शन को एक ऐसे आकार में तय कर सकता है जो उपभोक्ताओं द्वारा देखने योग्य है।

2.85 डीटीएच ऑपरेटरों और एमएसओ के दिशानिर्देशों की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, यह वांछनीय है कि उपरोक्त सिफारिशें एमएसओ पर भी लागू हो सकती हैं। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि नवंबर 2014 से बाजार की गतिशीलता बदल गई है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हालांकि, ट्राई द्वारा 2019 परामर्श डीटीएच सेवा प्रदाताओं के लिए विशिष्ट था, एमआईबी संदर्भ में उल्लिखित प्रावधान काफी सामान्य और समर्थक उपभोक्ता हैं। डीएएस प्रणाली ईपीजी पर वर्गीकरण से संबंधित सुविधाओं के लिए प्रदान करती है, जिसे एमएसओ सहित सभी डीपीओ पर लागू किया जाना चाहिए। यह सुविधा उपभोक्ताओं को उनकी टीवी स्क्रीन पर स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने में सहायता करेगी।

<u>प्राधिकरण की सिफारिश</u>

2.86 **प्राधिकरण एमआईबी के विचारों से सहमत है। प्राधिकरण अनुशंसा करता है कि डीटीएच ऑपरेटर / एमएसओ / आईपीटीवी / एचआईटीएस ऑपरेटर के लिए:**

(a) प्लेटफार्म सेवा चैनल ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों / निर्देशों / विनियमों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल गाइड (ईपीजी) में शैली 'प्लेटफॉर्म सर्विसेज' के तहत वर्गीकृत किए जाएंगे।

(b) समय-समय पर TRAI द्वारा जारी किए गए आदेशों / निर्देशों / विनियमों के अधीन प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म सेवा के विरुद्ध प्लेटफ़ॉर्म सेवा का संबंधित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) ईपीजी में प्रदर्शित किया जाएगा।

(c) 'प्लेटफ़ॉर्म सर्विसेज 'के रूप में कैप्शन लगाने का प्रावधान रैखिक सेवाओं से प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं को अलग करने के लिए आवश्यक हो सकता है। सरकार कैप्शन को एक ऐसे आकार में तय कर सकती है जो उपभोक्ताओं द्वारा देखने योग्य हो।

अध्याय - III: आंकड़ों के सारांश

भाग I - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) से प्राप्त 23 अक्टूबर, 2020 के दिनांकित संदर्भों का जवाब ट्राई की 19 नवंबर 2014 की सिफारिशों पर दिया गया

A. ट्राई की सिफारिशों का पैरा 2.39 दिनांक 19.11.2014

अनुशंसाएँ

3.1 ट्राई को मंत्रालय के दृष्टिकोण को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अनुपालन संरचना निर्दिष्ट करने में सक्षम हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मंच सेवाएं प्रदान करने वाले लोग स्वामित्व की स्थिति पर पूर्ण प्रकटीकरण करें और कार्यक्रम और विज्ञापन कोड का पालन करें। इसके अलावा, प्राधिकरण सिफारिश करता है कि कोई भी व्यक्ति / संस्था स्थानीय समाचार और वर्तमान मामलों को पीएस के रूप में प्रदान करने के लिए इच्छुक है, या पहले से ही ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहा है, को भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

B. ट्राई की सिफारिशों का पैरा 2.45 दिनांक 19.11.2014

अनुशंसाएँ

3.2 प्राधिकरण की सिफारिश है कि अधिकतम 15 PS चैनल MSO, IPTV ऑपरेटर्स और HITS ऑपरेटरों द्वारा पेश किए जा सकते हैं।

C. ट्राई की सिफारिशों का पैरा 2.52 दिनांक 19.11.2014

अनुशंसाएँ

3.3 ट्राई MIB द्वारा दिए गए सुझाव से सहमत है। इसके अलावा MIB उन सभी डीपीओ (जो पीएस की पेशकश कर रहे हैं) की सुरक्षा मंजूरी की समीक्षा करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित कर सकते हैं, जहां भी उनके स्वामित्व / नियंत्रण में कोई बदलाव हो। MIB PS को अनुमति देने के समय DPOs से अपेक्षित उपक्रम प्राप्त कर सकता है।

भाग II- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) से प्राप्त 23 अक्टूबर 2020 के संदर्भ की प्रतिक्रिया ट्राई की सिफारिशों पर दिनांक 13 नवंबर 2019 तक

D. ट्राई की सिफारिशों का पैरा 2.7 दिनांक 13.11.2019

अनुशंसाएँ

3.4 प्राधिकरण, एमआईबी के विचारों से सहमत है। प्लेटफ़ॉर्म सर्विसेज (PS) की परिभाषा इस प्रकार होगी:

"प्लेटफ़ॉर्म सेवाएं (PS) वितरण प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर्स (DPO) द्वारा अपने स्वयं के ग्राहकों के लिए विशेष रूप से प्रसारित कार्यक्रम हैं और इसमें दूरदर्शन चैनल और पंजीकृत टीवी चैनल शामिल नहीं हैं। PS में विदेशी टीवी चैनल शामिल नहीं होंगे जो भारत में पंजीकृत नहीं हैं।"

पंजीकृत टीवी चैनलों या टेलीविज़न चैनलों का अर्थ एक चैनल है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के तहत डाउनलाइनिंग की अनुमति दी गई है या समय-समय पर संशोधित किया गया है और 'चैनल' शब्द का संदर्भ 'टेलीविज़न' के संदर्भ में बनाया जाएगा। चैनल'।

E. ट्राई की सिफारिशों का पैरा 2.16 दिनांक 13.11.2019

अनुशंसाएँ

3.5 प्राधिकरण एमआईबी के विचारों से सहमत है। प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि:

(a) डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) ऑपरेटर / मल्टी सिस्टम्स ऑपरेटर्स (एमएसओ) / इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) / हेड-एंड-इन द स्काई (एचआईटीएस) ऑपरेटर द्वारा प्लेटफॉर्म सेवा के रूप में प्रसारित कार्यक्रम अनन्य होगा और वही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य वितरण प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर (DPO) के साथ साझा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(b) डीटीएच ऑपरेटर / एमएसओ / आईपीटीवी / एचआईटीएस ऑपरेटर द्वारा एक प्लेटफॉर्म सेवा के रूप में प्रसारित कार्यक्रम सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किसी पंजीकृत टीवी चैनल या दूरदर्शन चैनल या विदेशी टीवी चैनल को शामिल नहीं करेगा। पंजीकृत टीवी चैनलों की टाइम-शिफ्ट फीड (जैसे +1 सेवाएं) को प्लेटफॉर्म सेवा के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

(c) डीटीएच ऑपरेटर / एमएसओ / आईपीटीवी / एचआईटीएस ऑपरेटर मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना और प्रदान करना होगा कि प्रसारित कार्यक्रम उनके प्लेटफॉर्म के लिए विशिष्ट है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य डीपीओ के साथ साझा नहीं किया गया है।

(d) यदि वही कार्यक्रम किसी अन्य डीपीओ के पीएस पर उपलब्ध है, तो MIB / TRAI ऐसे कार्यक्रम के प्रसारण को तुरंत रोकने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। MIB भी डीटीएच ऑपरेटर / MSO / IPTV / HITS ऑपरेटर के ऐसे PS के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

F. ट्राई की सिफारिशों का पैरा 2.37 दिनांक 13.11.2019

अनुशंसाएँ

3.6 प्राधिकरण एमआईबी के विचारों से सहमत है। प्राधिकरण का सुझाव है कि डीटीएच ऑपरेटर / एमएसओ / आईपीटीवी / एचआईटीएस ऑपरेटर समय-समय पर ट्राई द्वारा जारी किए गए आदेशों / निर्देशों / विनियमों में निर्धारित प्लेटफॉर्म सेवाओं की सक्रियता / निष्क्रियता का विकल्प प्रदान करेगा।

G. ट्राई की सिफारिशों का पैरा 2.45 दिनांक 13.11.2019

अनुशंसाएँ

3.7 प्राधिकरण एमआईबी के विचारों से सहमत है। प्राधिकरण का सुझाव है कि डीटीएच ऑपरेटर / एमएसओ / आईपीटीवी / एचआईटीएस ऑपरेटर के लिए:

(a) प्लेटफार्म सेवा चैनल ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों / निर्देशों / विनियमों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल गाइड (ईपीजी) में शैली 'प्लेटफॉर्म सर्विसेज' के तहत वर्गीकृत किए जाएंगे।

(b) समय-समय पर TRAI द्वारा जारी किए गए आदेशों / निर्देशों / विनियमों के अधीन प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म सेवा के विरुद्ध प्लेटफ़ॉर्म सेवा का संबंधित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) ईपीजी में प्रदर्शित किया जाएगा।

(c) 'प्लेटफ़ॉर्म सर्विसेज 'के रूप में कैप्शन लगाने का प्रावधान रैखिक सेवाओं से प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं को अलग करने के लिए आवश्यक हो सकता है। सरकार कैप्शन को एक ऐसे आकार में तय कर सकती है जो उपभोक्ताओं द्वारा देखने योग्य हो।

अनुलग्नक I

N-45001/1/2020-DAS
Government of India
Ministry of Information and Broadcasting
ShastriBhawan, New Delhi-110001

Dated 23 /10/2020

To

Shri Sunil K. Gupta
Secretary
Telecom Regulatory Authority of India
Mahanagar Doorsanchar Bhawan,
New Delhi

Subject: TRAI's Recommendation on "Regulatory Framework for Platform Services" dated 19/11/2014-reg.

Sir,

I am directed to refer to TRAI's recommendations dated 19/11/2014 on the subject mentioned above and to say that after consideration of the recommendation on "Regulatory Framework for Platform Services" dated 19/11/2014 by Inter-Ministerial Committee (IMC), the recommendations have been accepted, except Recommendation No. 8. Further, the following recommendations have been approved with modification as under:-

Recommendation of TRAI	*Approved/Rejected with modifications*
Recommendation No. 8: *"Any person/entity desirous of providing PS, or is already providing such services, must be incorporated as a company under the Indian Companies Act, 2013 and the rules framed thereunder."*	This recommendation was not accepted by IMC in respect of MSOs/LCOs, since most of the MSOs/LCOs operated in small areas are either proprietorship or partnership firms which are not registered as companies. Making it obligatory for MSOs/LCOs to convert into companies may not be in line with the promotion of ease of doing business. IMC decided that anybody registered as a DPO, either with MIB or with post office, shall be eligible to carry PS channels.

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
महानगर दूरसंचार भवन, नई दिल्ली-2
28 OCT 22
डायरी सं. 5672

Recommendation No. 9: *"A maximum number of 5 PS Channels may be offered by the cable operators in non-DAS areas. In DAS areas and for all other platforms, a maximum of 15 PS channels may be offered by the DPOs. These numbers are the number of PS channels to be made available at the subscribers' end."*	1. With the completion of digitization process, there is no distinction between DAS and non-DAS area. Further, it is noted while it is necessary to restrict capacity of PS channels carried by DPOs as recommended by TRAI, it is not in the interest of the evolving and dynamic market like Cable TV to restrict the number of PS channels. Regulation may only intervene to the point of upholding customer interests, ethical business practices, ease of doing business and safeguard against violation of programming code and advertisement code. 2. Taking note of this, it is recommended that the MSOs may be permitted to operate to a maximum of 5%, and LCOs to a maximum of 1%, of the total permitted satellite channel being carried by them as permitted PS channels without any upper limit.
Recommendation No. 11: *"The Authority notes that all DPOs, other than MSOs and LCOs operating in non-DAS areas, are already security cleared. For these MSOs and LCOs, the Authority recommends that at any time before the MIB obtains the security clearance, it is determined that the programming service on PS and which has been registered on the online system is inimical to India's national security or to the public interest, MIB may require the DPO to withdraw from distribution of the PS Channel or the programming service and /or cancel the registration."*	1. TRAI's assumption that all the DPOs operating in DAS areas are security cleared is not correct since security clearance for LCOs is not a pre-requisite for grant of registration. Further, with the completion of digitization process there is no distinction between the DAS and non-DAS areas. At present about 72% MSOs are not security cleared by MHA as during their registration period security clearance was not a pre-requisite. Moreso, none of the LCOs are security cleared. 2. Taking note of this, it is recommended to extend TRAI recommendation for security clearance of MSOs / LCOs in non-DAS areas, to all MSOs / LCOs who are not security cleared and wish to offer PS to their subscribers. 3. That is to say, MIB will obtain security

	clearance of all MSOs / LCOs, who wish to offer PS and were not MHA security cleared at the time of registration, while they run their PS. However, if at any time before the MIB obtains the security clearance, it is determined that the programming service offered on PS and which has been registered on the online system is inimical to India's national security or to the public interest, MIB may require the MSO / LCO to withdraw from distribution of the PS Channel or the programming service and/ or cancel the registration.

2. It is requested that as per the provisions of Section 11(1) of TRAI Act, the Authority may after considering this reference, kindly furnish their recommendations on the suggested modifications to enable the Government to take a final decision in this matter.

Yours faithfully,

(Sanjeev Kumar)
Deputy Secretary to the govt. of India
Tel: 011-23389202
Email: Sanjeev.kumar29@nic.in

अनुलग्नक II

N-45001/1/2020-DAS
Government of India
Ministry of Information and Broadcasting
ShastriBhawan, New Delhi-110001

Dated 23 /10/2020

To

Shri Sunil K. Gupta
Secretary
Telecom Regulatory Authority of India
Mahanagar Doorsanchar Bhawan,
New Delhi

Subject: TRAI's Recommendations on "Platform Services offered by DTH Operators", Dated 13/11/2019, - regarding.

Sir,

I am directed to say while this Ministry is examining the TRAI's Recommendations on "Regulatory Framework for Platform Services" dated 19/11/2014, for their implementation in respect of MSOs / LCOs, it is observed that some of the recommendations made by TRAI on 13/11/2019 regarding Platform Services offered by DTH operators could be adopted in respect of MSOs / LCOs as well to have uniformity of guidelines in both segments. Therefore, it is proposed to adopt the under-mentioned recommendations in respect of Platform Services offered by MSOs / LCOs also by appropriately replacing the word " DTH" with " MSO/LCO" wherever required :

Recommendation Number	*Recommendation of TRAI dated 13/11/2019 on " Platform Services offered by DTH Operators"*
3.1	*"Platform services (PS) are programs transmitted by Distribution Platform Operators (DPOs) exclusively to their own subscribers and does not include Doordarshan channels and registered TV channels. PS shall not include foreign TV channels that are not registered in India. Registered TV channels or television channels means a channel, which has been granted downlinking permission by the Central Government under the policy guidelines issued or amended by it from time to time and reference to the term "channel" shall be constructed as a reference to "television channel". framed thereunder."*
3.2	*"The Authority recommends that:* *(a) The programme transmitted by the DTH operator as a platform service shall be*

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
महानगर दूरसंचार भवन, नई दिल्ली-2
26 OCT 2020
डायरी सं. 5671

	exclusive and the same shall not be permitted to be shared directly or indirectly with any other Distribution Platform Operator (DPO). *(b) Programme transmitted by the DTH operator as a platform service shall not directly or indirectly include any registered TV channel or Doordarshan channel or foreign TV channel. Time-shift feed of registered TV channels (such as +1 services) shall not be allowed as a platform service.* *(c) DTH operator shall ensure and provide an undertaking to the Ministry in the format prescribed by the Ministry that the programme transmitted is exclusive to their platform and not shared directly or indirectly with any other DPO.* *(d) In case the same programme is found available on the PS of any other DPO, MIB/TRAI* may issue direction to immediately stop the transmission of such programme. MIB also reserves the right for cancellation of registration of such PS of the DTH operator."* *(*MIB had made a back reference that powers may rest with MIB)*
3.5	*"The Authority recommends that the DTH operators shall provide an option of activation/deactivation of platform services as prescribed in the orders/directions/regulations issued by TRAI from time-to-time."*
3.6	*"The Authority recommends that:* *(a) The platform services channels shall be categorised under the genre 'Platform Services' in the Electronic Programmable Guide (EPG) subject to orders/directions/regulations issued by TRAI from time to-time.* *(b) The respective maximum retail price (MRP) of the platform service shall be displayed in the EPG against each platform service subject to orders/directions/regulations issued by TRAI from time-to-time.* *(c) A provision for putting a caption as 'Platform Services' may be required to distinguish the platform services from the linear channels. Government may decide the caption in a size which is visually readable by the consumers."*

2. It is requested to convey your views on the above proposal at the earliest.

Yours faithfully,

(Sanjeev Kumar)
Deputy Secretary to the govt. of India
Tel: 011-23389202
Email: Sanjeev.kumar29@nic.in

<u>अस्वीकरण: यह दस्तावेज मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित दस्तावेज का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह दस्तावेज मान्य होगा।</u>